न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 85/2019

सरपंच ग्राम पंचायत भगवानपुरा जरिये सीमा चौधरी हाल सरपंच ग्राम पंचायत भगवानपुरा पंचायत समिति सरवाड़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर

– वादीगण

बनाम

1. भू–प्रबन्ध अधिकारी महोदय, अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।

– प्रतिवादी

निर्णय अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री दौलत सिंह राठौड़ प्रार्थी।

निर्णय दिनांक 16.12.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी की और से निवेदन है कि ग्राम पंचायत भगवानपुरा के ग्राम ताजपुरा में शमशान व आबादी की आवंटन शुदा आराजीयात वाकै ग्राम ताजपुरा पटवार हल्का ताजपुरा तहसील सरवाड़ की सरहद में स्थित है।

ग्राम ताजपुरा की शमशान हेतु आवंटन आराजी का विवरणः–

खाता सं.	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टयर)	किस्म
पुराने 1–1	449	03–00–00	बा. 1
नये 303–1	522/1	0.47	बीड़

ग्राम ताजपुरा की आबादी हेतु आवंटन आराजी का विवरणः–

खाता सं.	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टयर)	किस्म
पुराने 1–1	431	07–00–00	गै. मु.
	407	51–12–00	गै. मु.
	433	07–00–00	गै. मु.
	434	02–00–00	गै. मु.

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ (अजमेर)

वादवर्णित आराजी ख. नं. 449 इमरोज आवंटन से नाप चोक कर ख. नं. 449 में पूर्व से चले आ रहे शमशान की जगह आवंटन कर आवंटन शुदा शमशान अंकित किया गया था। वादी को बिना सूचना के उक्त आराजी ख. नं. को भू प्रबंधक ने बिना कोई उचित आधार के राजस्व नक्शा में ख. सं. 522 अलग तरमीम अन्यत्र जगह कर दिया जिससे आराजीयात का स्वरूप ही बदल गया। जबकि उक्त आराजीयात मौके पर आज भी चारागाह के रूप में काम आ रही है। वादवर्णित आराजीयात खसरा सं. 662 को बिना किसी आधार के अधिकारी को किसी भी कानून या नियम के तहत ऐसा करने का अधिकारी नहीं था जिससे उक्त इन्द्राज 662 को दुरूस्त किया जाकर शमशान के नाम इन्द्राज किये जाने का निवेदन किया। भू प्रबंध अधिकारी द्वारा राजस्व नक्शा ट्रेस में ख. सं. 433 ग्राम पंचायत ग्राम ताजपुरा में 7 बीघा भूमि

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

आबादी के लगवा होने से आबादी के रूप में आबादी हेतु आवंटन की गई थी तथा उक्त आबादी भूमि में पूर्व से ही ग्रामवासियों के मकानात व बाड़े बने हुए है किन्तु उक्त भूमि को राजस्व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज करते समय ख. नं. 487 आबादी इन्द्राज किया जाना चाहिए था किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा उक्त आराजीयात को सिवायचक जगह इन्द्राज कर दिया गया। जबकि आवंटन से लेकर आज दिवस तक आबादी ख. नं. 487, 491 में चला आ रहा है। जिससे नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी में ख सं. 487 को सिवायचक से विलोपित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। आबादी ग्राम पंचायत के नाम इन्द्राज किये जाने का निवेदन किया। इस हेतु ग्राम पंचायत द्वारा एक प्रार्थना पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु उपखण्ड न्यायालय को दिया गया। उक्त आराजीयात राजस्व नक्शा ट्रेस में अलग ख. नं. हो जाने से ग्राम पंचायत की आराजीयात का स्वरूप बदल गया है जिसे सही किया जाना न्यायेचित है। राजस्व रिकॉर्ड में एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 2 राजस्व लेण्ड हॉल्डर होने से एवं राजस्व रिकॉर्ड में संधारण होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 1 भू प्रबंध अधिकारी है इसलिए पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है एवं वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1, 2 राजकीय सेवा में होने से 2 माह का नोटिस दिया जाकर दावा प्रस्तुत करने से दावे का औचित्य खत्म होने से धारा 80(2) जाप्ता दीवानी के नोटिस में छूट दिया जाना न्यायसंगत है। वादी का वाद प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 20.06.2019 से दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में आता है।

वादी द्वारा अपने पक्ष में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः—

1. प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम ताजपुरा संवत् 2075—2074 खाता सं. 300
2. प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम ताजपुरा संवत् 2074—2075 खाता सं. 300
3. प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम ताजपुरा संवत् 2075—2075 खाता सं. 1
4. प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम ताजपुरा संवत् 2074—2075 खाता सं. 303
5. प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम ताजपुरा संवत् 2067—2070 खाता सं. 1
6. प्रमाणित नक्शा ट्रेस ग्राम ताजपुरा।
7. प्रमाणित नक्शा ट्रेस ग्राम ताजपुरा।
8. प्रमाणित नक्शा ट्रेस ग्राम ताजपुरा।
9. मिलान क्षेत्रफल ग्राम ताजपुरा।
10. ग्राम पंचायत भगवानपुरा प्रस्ताव प्रतिलिपी दिनांक 26.06.2019

प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ताजपुरा के ख. नं. 449/1 में से 38 बीघा 13 बिस्वा भूमि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय अजमेर के आदेश क्रमांक/कअ/राजस्व/एफ 12(सी)/12/202 दिनांक 12.12.2012 से उक्त भूमि सिवायचक से चारागाह घोषित की गई है। जो नियमानुसार सही है।

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड (अजमेर)

Scanned by CamScanner

बहस के तथ्यों पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादी द्वारा धारा अन्तर्गत 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उद्घोषणा बाबत् दावा प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा ना तो विवादित आराजी के आवंटन एवं कब्जा संभलाने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए है और ना ही मौके पर कब्जे बाबत् कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि खसरा नं. 662 (पुराना 449/1) वर्तमान में चरागाह ग्राम पंचायत ताजपुरा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पंचायत भगवानपुरा के खाते में दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल ग्राम ताजपुरा से स्पष्ट है कि वादी के खाते में पुराने खसरा नं. 449/1 मि. (रकबा 0.74 हैक्ट.) के नये नं. 522 (रकबा 0.74 हैक्ट.) बने है जो वर्तमान में वादी के खाते में दर्ज है एवं 449/1 मि. (रकबा 1.68 हैक्ट.) के नये नं. 662 (रकबा 1.68 हैक्ट.) बने है जो वर्तमान में चरागाह दर्ज है। वादी भूमि के आवंटन एवं आवंटित भूमि के कब्जे संभलाने बाबत् साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है एवं केवल मात्र कब्जा होने से भी खातेदारी उद्घोषणा के अधिकारी नहीं हो जाते है। अतः वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ (अजमेर)

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़
उपखण्ड अधिकारी
सरवाड (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.02.12 14:12:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: